

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 125/ 2026

अमरनाथ

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अनिल कुमार मिश्रा, अरुण चंद पाण्डेय, राम बहादुर मौर्य

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विकास राय और गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन सिंह को सुना गया।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने तहसीलदार, न्यायिक/सहायक कलेक्टर, तहसील कादीपुर, सुल्तानपुर द्वारा उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या 1949 वर्ष 2022 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2023 और 30.09.2025 के अनुपालन में ग्राम- सरसावां, परगना- अलदेमऊ, तहसील- कादीपुर, सुल्तानपुर में स्थित सार्वजनिक उपयोग की भूमि गाटा संख्या 517, माप 0.7400 हेक्टेयर, जो भीता के रूप में दर्ज है, पर विरोधी पक्षकार संख्या 6 द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी करने की मांग की है।
3. तहसीलदार, न्यायिक/सहायक कलेक्टर, तहसील- कादीपुर, सुल्तानपुर द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने सूचित किया है कि उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत दिनांक 27.10.2023 के आदेश के विरुद्ध एक अपील, वाद संख्या डी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

202504680006107, दायर की गई है, जो अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सुल्तानपुर के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें अगली तिथि 28.02.2026 नियत है।

4. लिखित निर्देशों की एक प्रति अभिलेख पर ली गई है।

5. तदनुसार, इस याचिका को यह निर्देश जारी करते हुए निस्तारित किया जाता है कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), सुल्तानपुर, अपील संख्या डी 202504680006107 में, किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना, विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही करें, और तत्पश्चात विरोधी पक्षकारण विधि के अनुसार शीघ्रतापूर्वक अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करेंगे।

25 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)